UPME010087732026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट, मेरठ।

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(जे0ओ0 कोड यू0पी0 6240)

फौजदारी विविध वाद संख्या–680/2026

दीपा पुत्री बिल्लू सिंह, निवासी–कुऑ खेड़ा, थाना परीक्षितगढ़, जिला मेरठ।

.....प्रार्थिनी/वादिनी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल –पति,
2. बाबूलाल पुत्र –ससुर,
3. कपिल पुत्र बाबूलाल –जेठ,
4. श्रीमती मनीषा पत्नी कपिल –जेठानी,
5. श्रीमती रूचिका पत्नी विकास –ननद

समस्त निवासीगण–दादावाड़ी कालोनी, गली नं0–2 सांचोर थाने के बराबर में, जिला सांचोर (राजस्थान)।

.....विपक्षीगण/अभियुक्तगण।

दिनांकः 06.07.2026

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थिनी/वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 173(4)बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, थानाध्यक्ष, थाना परीक्षितगढ़, मेरठ को निर्देशित किया जावे कि वह विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर, विवेचना करें और विवेचना से न्यायालय को अवगत कराये ।

3. प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी की शादी दिनांक 21.04.2024 को विपक्षी संख्या–1 जितेन्द्र कुमार सिंग्वी पत्र बाबूलाल, निवासी–दादावाड़ी कालोनी, गली नं0–2 सांचोर थाने के बराबर में, जिला सांचोर राजस्थान के साथ हुई थी। विवाह का सम्पूर्ण खर्चा उसके ससुराल वालों ने किया था। उसके पिता ने उसे उपहार स्वरूप ढाई लाख रूपया दिया था। उसकी बड़ी बहन राजस्थान में रहती है जिसके घर वह आती जाती थी, जहां विपक्षी जितेन्द्र ने उसे देख लिया था और उसकी बहन के घर जाकर प्रार्थिनी के साथ शादी की इच्छा जताई। प्रार्थिनी की बहन ने कहा कि वे जाटव समाज से हैं और आप जैन समाज से हो, ये शादी नहीं हो सकती। इसके बाद विपक्षी जितेन्द्र अपने घर वालों को लेकर उसके घर ग्राम कुँआ खेड़ा, थाना परीक्षितगढ़, जिला मेरठ आया तथा उसके परिजनों के हाथ–पैर जोड़कर शादी के लिये मना लिया। प्रार्थिनी के घर वालों ने एक दम शादी न करने के लिए आर्थिक स्थिति का हवाला दिया परन्तु ये लोग नहीं माने। प्रार्थिनी की ससुराल वालों ने जबरदस्ती अपने समाज में अपनी शानो–शौकत दिखाने के लिए प्रार्थिनी के पिता के खाते में पैसे डाले और उनसे उक्त शादी मेरठ के महंगे होटल में करने के लिए कहा। प्रार्थिनी के पिता ने अपनी पुत्री के भविष्य को देखते हुए

विपक्षी संख्या 1 ता 5 की बातें मान ली। प्रार्थिनी बिदा होकर अपनी ससुराल गयी, तो शादी के दो–तीन माह तक तो सब कुछ ठीक रहा परन्तु उसके बाद विपक्षी संख्या 1 ता 5 का व्यवहार प्रार्थिनी के प्रति बदल गया और उपरोक्त सभी लोग प्रार्थिनी को बिना वजह से मारपीट करने लगे व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने लगे, प्रार्थिनी की सास जब इन लोगों को रोकती तो उसके साथ भी बदतमीजी करते, उपरोक्त सभी लोग प्रार्थिनी से कहते थे कि हमने नौ लाख में तुझे खरीदा है, अब तू जैसा हम चाहेंगे, वैसा करेगी। प्रार्थिनी का जेठ व ससुर प्रार्थिनी के साथ छेड़छाड़ करते थे, जिसमें उनका साथ प्रार्थिनी का पति, जेठानी व नन्द भी देती थी। सभी लोग प्रार्थिनी से अपने द्वारा खर्च किये गये पैसे मांगते और कहते थे कि नौ लाख रुपये दहेज में हमें दे, वरना हम तूझे या तो मार देंगे या कहीं बेच देंगे। विपक्षीगण के उत्पीड़न से तंग व परेशान होकर प्रार्थिनी जून माह 2025 में अपने घर आ गयी। इसके बाद विपक्षी संख्या 5 आपनी गलती मानकर उसे वापस ले गया। प्रार्थिनी का पाति, जेठ, जेठानी सूरत (गुजरात) में रहते हैं और कभी–कभी राजस्थान आते हैं, जब भी आते है, उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, घर पर प्रार्थिनी की सास–ससुर और प्रार्थिनी रहते हैं। प्रार्थिनी का ससुर, प्रार्थिनी पर गंदी नजर रखता है और कई बार बहाने से प्रार्थिनी के साथ छेड़छाड़ की थी। दिनांक 01.09.2025 को समय करीब सुबह 04:30 बजे प्रार्थिनी के ससुर प्रार्थिनी की सास को मंदिर छोड़कर वापस घर आ गये। सुबह लगभग 05:30 बजे प्रार्थिनी को अपने साथ छेड़छाड़ का एहसास हुआ, प्रार्थिनी की आँख खुल गई। प्रार्थिनी ने देखा कि उसके ससुर ने उसे जकड़ रखा है और प्रार्थिनी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। प्रार्थिनी ने शोर मचाते हुए अपने ससुर को बैड से गिरा दिया और ससुर से कहा कि मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी, वो वहां से चले गये। इसके बाद प्रार्थिनी ने उक्त सारी बात फोन पर अपने पति को बताई तो उसने बोला कि तुझे खरीद कर लाये हैं, जैसा हम चाहे तेरा इस्तेमाल करेंगे। ये बात सुनकर प्रार्थिनी के पैरों तले से जमीन निकल गई। प्रार्थिनी की सास ने बहुत विरोध किया। उपरोक्त सभी लोगों द्वारा आज से लगभग तीन–चार माह पूर्व एक कोरे स्टाम्प पर जिस पर प्रार्थिनी का फोटो लगा था, प्रार्थिनी के हस्ताक्षर चाकू गले पर रखकर कराये। प्रार्थिनी के पति द्वारा अपने पिता की गलत हरकतों का समर्थन करने पर प्रार्थिनी अपनी इज्जत बचाने की खातिर राजस्थान से मेरठ अपने पिता के घर आ गयी। इस सम्बन्ध में दिंनाक 23.09.2025 को प्रार्थिनी ने एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को दिया, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को दिये गये प्रार्थना पत्र 23.09.2025 की प्रति, जांच पर्ची पीली दिनांकित 23.09.2025, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति के लिये जारी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति तथा आधार कार्ड की फोटो प्रति दाखिल की गयी है।

5. थाने की आख्या के अनुसार मामले में कोई अभियोग पंजीकृत न होना दर्शाया गया है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं पुलिस आख्या का अवलोकन किया।

7. धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार न्यायालय, धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र पर जांच एवं पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान ले सकती है।

8. थाने की आख्या के अनुसार उक्त मामले में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थिनी द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी को घटना के तथ्यों, परिस्थितियों एंव साक्ष्यों की पूर्ण जानकारी है। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कथन वर्णित नहीं किया गया है, जिससे कोई ऐसा साक्ष्य संकलित किया जाना

हो, जो कि विवेचना कराये जाने के उपरान्त ही संकलित किया जा सकता हो। प्रार्थना पत्र में कोई तकनीकी तथ्य निहित नहीं है। प्रार्थिनी अपना समस्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। उक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007 (6) ए.एल.जे. पेज 424 (डी0बी0)** के मामले में अवधारित किया गया है कि धारा–156 (3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है और मजिस्ट्रेट प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं है। मामले में विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 27.08.2026 को पेश हो।

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
मेरठ।
06.07.2026

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.07.13 16:30:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court